


कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू (आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन सूचना

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड रांची के पत्रांक 300/रांची, दिनांक 19.01.2017 के द्वारा "झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2017 के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने का निदेश प्राप्त है।

अतः विभागीय निदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु महिला स्वयं सहायता समूह के इच्छुक आवेदनकर्ता रिक्ति के आलोक में दिनांक 08.08.2017 तक जिला आपूर्ति कार्यालय, पलामू में आवेदन विहित प्रपत्र में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं की जायेगी।


उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए आवेदन पत्र पलामू जिले के वेबसाईट www.palamu.nic.in पर उपलब्ध है, जहाँ से आवेदनकर्ता आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अर्हता/शर्त एवं रिक्ति से संबंधित सूचना पलामू जिला के वेबसाईट www.palamu.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। बिना किसी कारण बताये विज्ञापन रद्द करने एवं संशोधित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।


म. 7.17
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू (आपूर्ति शाखा)

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड रांची के पत्रांक 300/रांची, दिनांक 19.01.2017 के द्वारा "झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2017 के अध्याय(III) के कंडिका 9(I), (III) एवं (IV) के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन कागजात संलग्न करना अनिवार्य है:-

1. जन वितरण प्रणाली की नई दुकानों का आवंटन निबंधित महिला स्वयं सहायता समूह को दी जायेगी, जो पोषक क्षेत्र के होंगे।
2. समूह का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
4. समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति।
5. बैंक खाता का फोटो कॉपी।
6. चलान के द्वारा निर्धारित शुल्क 2000.00रु0 जमा करना होगा।
7. महिला स्वयं सहायता समूह की स्थिति में चक्रीय निधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. व्यापार स्थल के स्वामित्व से संबंधित राजस्व दस्तावेज। व्यापार स्थल किराया पर होने की स्थिति में कम से कम तीन वर्ष के लिए किरायानामा।
9. लाभुक क्षेत्र के दो माह के लिए संभावित खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण क्षमता का शपथ पत्र/घोषणा पत्र।
10. प्रत्येक आवेदक के द्वारा नई अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति शुल्क के आलावे प्रत्याभूति के रूप में 10000.00(दस हजार) रु0 अनुज्ञापन पदाधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।


जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

(2) जिला

4. दुकान का स्थान अपना है या किराया का? अगर किराया का है तो किरायानामा का प्रति संलग्न करें।
5. क्या आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण गत तीन वर्षों के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी तो नहीं ठहराया गया है?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोषी ठहराया गया है?
8. क्या आवेदक के उपर कोई आपराधिक मामला तो लंबित नहीं है?
9. क्या आवेदक सरकारी लाम के किसी पद पर पदस्थापित तो नहीं हैं?
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में हैं? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।
11. क्या आवेदक के पास आटा-चक्की है?

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त मद संख्या 1 से 11 में वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में उल्लेखित तथ्य असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2017' के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर



MOMENTUM
JHARKHAND

प्रपत्र-II

{उपखण्ड-16 के अधीन}

झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2017 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापि संख्या :
चालान संख्या :
तारीख :
अनुज्ञापिधारी का नाम :
पिता/पति का नाम :
पता :

अनुज्ञापिधारी का
फोटो
(सम्बन्धित क्षेत्र के
आपूर्ति निरीक्षक
द्वारा अभिप्रमाणित
एवं अनुज्ञापन
पदाधिकारी द्वारा
प्रतिदस्तावेजित)

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2017' के उपबंधों तथा इस अनुज्ञापि के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और संवितरण को नियमित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है -

भंडारण स्थान का विवरण

(क) खाता :
(ख) खेसरा :
(ग) होल्डिंग नं० :
(घ) दुकान का क्षेत्रफल :
(ङ) दुकान का विवरण :
(च) पता :
(छ) दुकान की चौहदी :

(ज) दुकान किराये पर है तो
दुकान मालिक का नाम
एवं पता :

2. आवश्यक वस्तुओं का विवरण

(क) खाद्यान्न :
(ख) खाद्य तेल :
(ग) कृषिसाधन तेल :
(घ) चीनी :
(ङ) कपड़ा :
(च) अन्य-वस्तुएँ :



MOMENTUM
JHARKHAND

3. (क) अनुज्ञापिधारी खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में भंडार और विक्री पंजी संधारित करेगा। क्रमांक-2 में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा -
 - (i) खाद्यान्न-विण्टल या किलोग्राम में
 - (ii) नमक/खाद्य तेल/किरासन तेल-लीटर में
 (ख) अनुज्ञापिधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियाँ अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कर लेगा।
4. अनुज्ञापिधारी निगोशियेबल इंस्ट्रुमेन्ट ऐक्ट, 1981 के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश/साप्ताहिक बंदी के दिनों को छोड़कर, प्रतिदिन दुकान खोलेगा तथा "सूचना पट्ट" दुकान के बाहर एवं "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट" दुकान के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
5. अनुज्ञापिधारी दुकान से सम्बद्ध बी०पी०एल०, अन्वोदय और अन्नपूर्णा लाभान्वितों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
6. अनुज्ञापिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा।
7. अनुज्ञापिधारी, आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित कीमत से उच्चतर कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।
8. अनुज्ञापिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं का बिक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैंशमेमो (परिशिष्ट-5 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उनका हस्ताक्षर/निशान लेगा। कैंशमेमो का कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगा जिसमें अनुज्ञापिधारी का नाम, अनुज्ञापि संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा।
9. अनुज्ञापिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् उसके राशन कार्ड पर आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड सम्बन्धित उपभोक्ता को लौटा देगा। अनुज्ञापिधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेगा।
10. अनुज्ञापिधारी खाद्यान्न का उठाव करते समय सम्बन्धित गोदाम से उसका एक "संयुक्त नमूना" भी प्राप्त करेगा तथा उसे दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
11. अनुज्ञापिधारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे मांग की जाय, सही-सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार/विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिले के उपायुक्त द्वारा दिया जाय।
12. अनुज्ञापिधारी अपने दुकान में आवश्यक वस्तुओं का भंडार तथा लेखाओं/पंजियों का निरीक्षण करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की परीक्षण हेतु उनके नमूना लेने के लिए निरीक्षी पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर समरत सुविधाएं देगा।
13. अनुज्ञापिधारी द्वारा "निरीक्षण पुस्तिका" और "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" संधारित की जायेगी। अनुज्ञापिधारी खाद्यान्न की क्वालिटी, मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शिकायतें, सुझाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" उपलब्ध करायेगी।
14. अनुज्ञापिधारी सभी अनुज्ञापि तथा सभी प्रकार की पंजी/पुस्तिका एवं कैंशमेमो दुकान में ही रखेगा।
15. अनुज्ञापिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थिति में रखेगा तथा भूमि की नमी, वर्षा, कीटों, कृतकों, चिड़ियों, आग एवं ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचाने का आवश्यक उपाय करेगा।
16. अनुज्ञापिधारी उर्वरकों, कीटनाशी, औषधियों तथा विषैले रासायनिक पदार्थों के साथ खाद्यान्न का भंडारण नहीं करेगा।
17. अनुज्ञापिधारी सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये तराजू, बटखारा एवं अन्य उपकरण का सत्यापन माप तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान में रखेगा।
18. अनुज्ञापिधारी मास के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष वस्तुओं का हिसाब



MOMENTUM
JHARKHAND

- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पगन पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी निर्देश के आलोक में देगा और उसकी प्रति ग्राम संचायत को भी देगा।
19. अनुज्ञापिधारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा संवितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों का पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांगी जाय।
 20. कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के स्वामी (अनुज्ञापिधारी) के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, अनुज्ञापिधारी को निर्धारित फीस रू० 10/- (दस) व फोटो कॉपी का व्यय जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर; लिखित अनुरोध एवं शुल्क प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर ऐसे उद्धरण प्रदान करेगा।
 21. अनुज्ञापिधारी एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी सरकारी सेवा में नहीं हैं/किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हैं तथा अपनी अनुज्ञापि किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकाल तक हस्तान्तरित नहीं करेंगे।
 22. यह अनुज्ञापि/...../..... तक विधिमान्य होगा।

स्थान :

दिनांक :

(अनुज्ञापन पदाधिकारी)
नाम, पदनाम एवं कार्यालय का
मुहर

